

## ग्रामीण सेवा शिविर-2025

पृष्ठ-६

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प ...

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पट्टाशी ..... मदनलाल गिरी .....  
 व भूअ.नि. पद्ममला ..... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रैलमगारा ...../नामक  
 तहसीलदार ..... की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम  
 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम वडावपुरा तहसील रैलमगारा व  
 जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् १९७७ में खाता संख्या ७२ में  
 वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल  
 दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

| क्र.सं. | ग्राम           | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है) |
|---------|-----------------|-------------|--------------------------------------|--|
| १.      | <u>वडावपुरा</u> | ७२          | <u>मदनलाल जाति-<br/>खीला</u>         | <u>मदनलाल जाति-<br/>रैगार</u>                                |

पीठासीन अधिकारी  
**उपखण्ड अधिकारी**

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, .....

ग्रमांक:- 358

दिनांक :- 11/10/25

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार रैलमगारा ..... को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट गिजवावे।
2. प्रार्थी श्री मदनलाल गिरी ..... को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रायत्ता। मदनलाल रैगार

**उपखण्ड अधिकारी**

पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, .....